

फर्द अहकाम

सी. व. राठ

बनाम लक्ष्मीका राजका लोके

का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

10 / 202...4...

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा पिररुत रूप से	विशेष विवरण
23/8/24	पडावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्टी उपर प्रवर्द्धित की पालना से पडावली दिनांक 20/8/24 को पेश हो	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
30/8/24	पडावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्टी उपर प्रवर्द्धित की पालना से पडावली दिनांक 20/9/24 को पेश हो	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर
20/9/24	पडावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/11/24 को पेश हो	
16.10.24	पडावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। पूर्व दिनांक की पालना से पडावली दिनांक 20/11/2024 को पेश हो	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
20-11-24	पडावली पेश हुई। पार्टी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पार्टी को मात्र न्यायालय में प्रथम-पृथक समय पर तीन-तीन बार भावने लगायी गयी। कावजूद आवाज लगाये जाने के उपरांत भी पार्टी के पडावली में शामिल नहीं माने जाकर पडावली अन्तर्गत शरेश-7 नियम - 3 के तहत भयम-हाजरी व भयम शैरवी में खारिज की जाती है। पडावली जेजल शुमार हीकर नष्ट ले कम होकर यास्सिप दफ्तर हो।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

25